संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050
Postal Reg.No.-13/Surguja DN/2023-2025

दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर,वर्ष 20,अंक -245 शनिवार ,06 जुलाई 2024 , पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

घटती-घटना अखबार में स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री संजय मरकाम व उनके भतीजे प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल की कमियों की छप रही खबर को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सहसंचालक आइपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव को किया आगे ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन से हस्तक्षेप की मांग...

क्या छापें आयुक्त सहसंचालक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव साहब ?

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?

कलम बंद...का छठवां दिन

?

कलम बंद...का छठवां दिन

घटती-घटना के स्नेही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

C M Y K

संपादकीय

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अपने दागी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी व अपने भतीजे प्रभारी डीपीएम सूरजपुर के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का कर रहे प्रयास?

» स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी व भतीजे प्रभारी डीपीएम सूरजपुर की खबर प्रकाशन से नाराज हैं स्वास्थ्य मंत्री?

» स्वास्थ्य मंत्री अपने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के दिव्यांग प्रमाण पत्र की नहीं करा पा रहे जांच जिसकी कांग्रेस शासनकाल से ही हो रही मांग...

» स्वास्थ्य मंत्री अपने भतीजे प्रभारी डीपीएम सूरजपुर को जांच से बचाने के प्रयास में अपनी फजीहत भी कराने को तैयार...अखबार पर दबाव बनाने को तैयार...पर जांच कराने को क्यों तैयार नही?

» घटती-घटना अखबार में स्वास्थ्य मंत्री के कर्तव्यस्थ अधिकारी व उनके भतीजे प्रभारी डीपीएम की कमियों की छप रही खबर को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी को किया आगे?

» सुरजपुर के प्रभारी डीपीएम पहले थे कोरिया जिले के प्रभारी डीपीएम,कांग्रेस शासनकाल में इन्होंने किया है जमकर भ्रष्टाचार:सूत्र...

» भाजपा शासनकाल में होनी थी जांच लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के निकल गए भतीजे इसलिए अब नहीं होगी जांच?

» विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और भतीजे प्रभारी डीपीएम से स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा मोह की प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की छवि और उसकी विश्वसनीयता का भी उन्हें ख्याल नहीं?

रायपुर,05 जुलाई 2024(घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की नई सरकार और सरकार में शामिल नए कैबिनेट मंत्री विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर यदि यह कहा जाए की वह अपने साथ संलग्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विशेष सलाहकार और भतीजे प्रभारी डीपीएम सूरजपुर के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएंगे वहीं वह इनके आगे पार्टी और सरकार की भी फजीहत कराने से बाज नहीं आयेंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री इन तीनों के मामले में यह स्पष्ट लगभग कर चुके हैं जो उनकी अब-तक की कार्यप्रणाली से समझ में आ रहा है की वह इनको लेकर मौन ही रहने वाले हैं। वहीं प्रभारी डीपीएम सूरजपुर जो उनके भतीजे हैं और उनके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जिनका दिव्यांग प्रमाण-पत्र ही फर्जी है जैसा आरोप है उसको लेकर वह कोई जांच नहीं कराने वाले न ही कोई वह कार्यवाही होने देंगे भले चाहे जो कुछ भी हो जाए।

बता दें की स्वास्थ्य मंत्री के साथ संलग्न राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का दिव्यांग प्रमाण-पत्र फर्जी है ऐसा आरोप है उनके ऊपर वहीं आरोप यह भी है की फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही नौकरी कर रहे हैं वह और जिसकी यदि जांच की गई तो उनकी नौकरी ही जानी तय है। वहीं उनके भतीजे प्रभारी डीपीएम सूरजपुर की भी अहर्ता प्रमाण-पत्र फर्जी है। वहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं जिनकी जांच की मांग कई बार हुई है को लेकर कई बार दैनिक घटती-घटना ने समाचार प्रकाशित किया और मामले को उजागर करने का प्रयास किया जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने भ्रष्टाचारी भतीजे जिनके ऊपर डिग्री फर्जी बनवाने का भी आरोप है और फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के बचाव में अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी और उन्होंने दैनिक घटती-घटना के शासकीय विज्ञापनों पर ही रोक लगवा दिया। अब विज्ञापनों पर रोक लगवाकर वह यह मान बैठे हैं कि वह भ्रष्टाचार और फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के मामले को दबा ले जायेगें जबकि उनका यह प्रयास लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का एक प्रयास है जो इसके पहले होते नहीं देखा गया किसी शासनकाल में। स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह भ्रष्टाचार और फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले भतीजे और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के साथ हैं यह उन्होंने साबित कर दिया है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य मंत्री का लगातार बयान और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की रणनीति को लेकर कई प्रयास देखने सुनने को रोज मिल रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा जोर उनका खरीदी और निर्माण में ही देखने को मिल रहा है और उपलब्ध संसाधनों के साथ वह स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर पाएंगे ऐसा कहीं सुनने-देखने में नहीं आया।

खरीदी और निर्माण से यदि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होता

खरीदी और निर्माण से यदि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होता तो शायद वह कब का हो चुका होता क्योंकि इसके पहले की सरकार के कार्यकाल में भी जमकर खरीदी हुई और जमकर निर्माण हुए लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जस की तस है और कहीं न कहीं कहा जाए तो पहले से भी बुरी है स्थिति। आज शासकीय अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके हैं वहीं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपकरण स्वरूप में हैं उनकी कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि उनका समुचित उपयोग भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि न ही विशेषज्ञ ही हैं अस्पतालों में न ही लोगों का ही अब विश्वास रह गया है। वहीं जबसे नए स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश को मिले हैं तबसे हाल और बुरा है क्योंकि वह किसी और को क्या समझाइश देंगे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की जब उनके ही भतीजे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो वहीं उनके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के भी दिव्यांग प्रमाण-पत्र को लेकर प्रश्न खड़ा हो। वैसे बताया जाता है की उनके भतीजे से बकायदा अन्य को भी भ्रष्टाचार की समझाइश देते हैं और पकड़े जाने पर बचाने की भी बात करते हैं।

क्या स्वास्थ्य मंत्री कार्यवाही करके अपनी निष्पक्षता का परिचय देना उचित नहीं समझ रहे?

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को यदि सार्वजनिक मंचों पर सुना जाए तो उनको सुनकर ऐसा ही लगता है कि वह अत्यंत धार्मिक और अत्यंत ही न्यायप्रिय साथ ही नियम कायदे के पक्के हैं वहीं यदि उनकी कार्यप्रणाली अब तक की देखी जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह उनके वक्तव्य सार्वजनिक से विपरीत हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर ऐसा इसलिए कहना उचित जान पड़ता है क्योंकि वह अपने भतीजे प्रभारी डीपीएम सूरजपुर के भ्रष्टाचार मामले और उनकी फर्जी डिग्री मामले में जिसमें की शिकायत भी हुई है मौन हैं वहीं वह अपने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को लेकर भी मौन हैं जिसकी नौकरी फर्जी प्रमाण-पत्र दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर लगी है और जिसकी शिकायत भी हुई है और जांच भी लंबित है। स्वास्थ्य मंत्री चाहते इन दोनों मामले में न्याय का साथ देते और जांच कराकर उचित कार्यवाही करते लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं और अपनी ही निष्पक्षता साबित नहीं कर पा रहे हैं। देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री के लिए दो लोग पूरे प्रदेश के लोगों से ऊपर हैं जो फर्जी हों भ्रष्टाचारी हों फिर भी उन्हें कोई परहेज नहीं उनसे वह उनके साथ हैं और उन पर वह आंच नहीं आने देंगे।

आखिर स्वास्थ्य मंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रभारी डीपीएम सूरजपुर सहित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को अभय दान देने में लगे हैं

वैसे सवाल यह भी है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह प्रभारी डीपीएम सूरजपुर और अपने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के मामले में मौन हैं जिसके कारण वह इन दोनो के मामले में मौन हैं। प्रभारी डीपीएम सूरजपुर और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के मामले में स्वास्थ्य मंत्री पूरी सरकार की किरकिरी भी कराने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। वैसे सूरजपुर के प्रभारी डीपीएम के मामले में समझा जा सकता है कि वह स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे हैं इसलिए उनका स्नेह है उनके प्रति और उनका भ्रष्टाचार और उनकी शिकायत क्षम्य है क्योंकि वह खुद मंत्री हैं विभाग के और उनके रहते भतीजे पर कार्यवाही होना गलत संदेश जाना होगा। परिवार में लेकिन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को लेकर उसके फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी समझ से परे है क्योंकि ऐसे मामले में मौन रहना कहीं न कहीं सही नही कहा जा सकता है।

भतीजे की अहर्ता फर्जी होने का आरोप तो वहीं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी होने का है आरोप

स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की अहर्ता फर्जी है यह आरोप एक व्यक्ति ने लगाया है वहीं उनके कर्तव्यस्थ अधिकारी का दिव्यांग प्रमाण पत्र ही फर्जी है यह आरोप है। अब दोनो मामले में जांच की जरूरत है और जांच भी निस्पक्ष हो ऐसी मांग है क्योंकि प्रदेश में बेरोजगार बेरोजगार हैं जहां वहीं जो लोग फर्जी आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर इन दोनो मामले में स्वास्थ्य मंत्री की विश्वसनीयता उनकी न्यायप्रियता अब कहीं न कहीं परीक्षा में है जिसमे वह पास होंगे या फेल यह देखने वाली बात होगी।

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

CMYK

खुला पत्र

क्या प्रकाशित करें आयुक्त सहसंचालक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी ?

अम्बिकापुर,05 जुलाई 2024(घटती-घटना)। आपको जो कमियां दिखाई जा रही हैं...वह आपको पसंद नहीं आ रही हैं...आपके विभाग में कितनी कमियां हैं...यह शायद आपको दिख नहीं रहा और अखबार आपको दिखाना चाह रहा है...वह देखना नहीं चाहते ऐसे में क्या प्रकाशित करें..यह आपकी तय करें ? अखबार जो आपको कमियां दिख रहा है उस कमियों को आपको दूर करना था पर उसे कर्मियों को दूर करने के बजाय आप अखबार से पत्रकार से संपादक से आपको दिक्कत हो रही फिर आप यह समझिए कि आपसे जनता को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी ?

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?

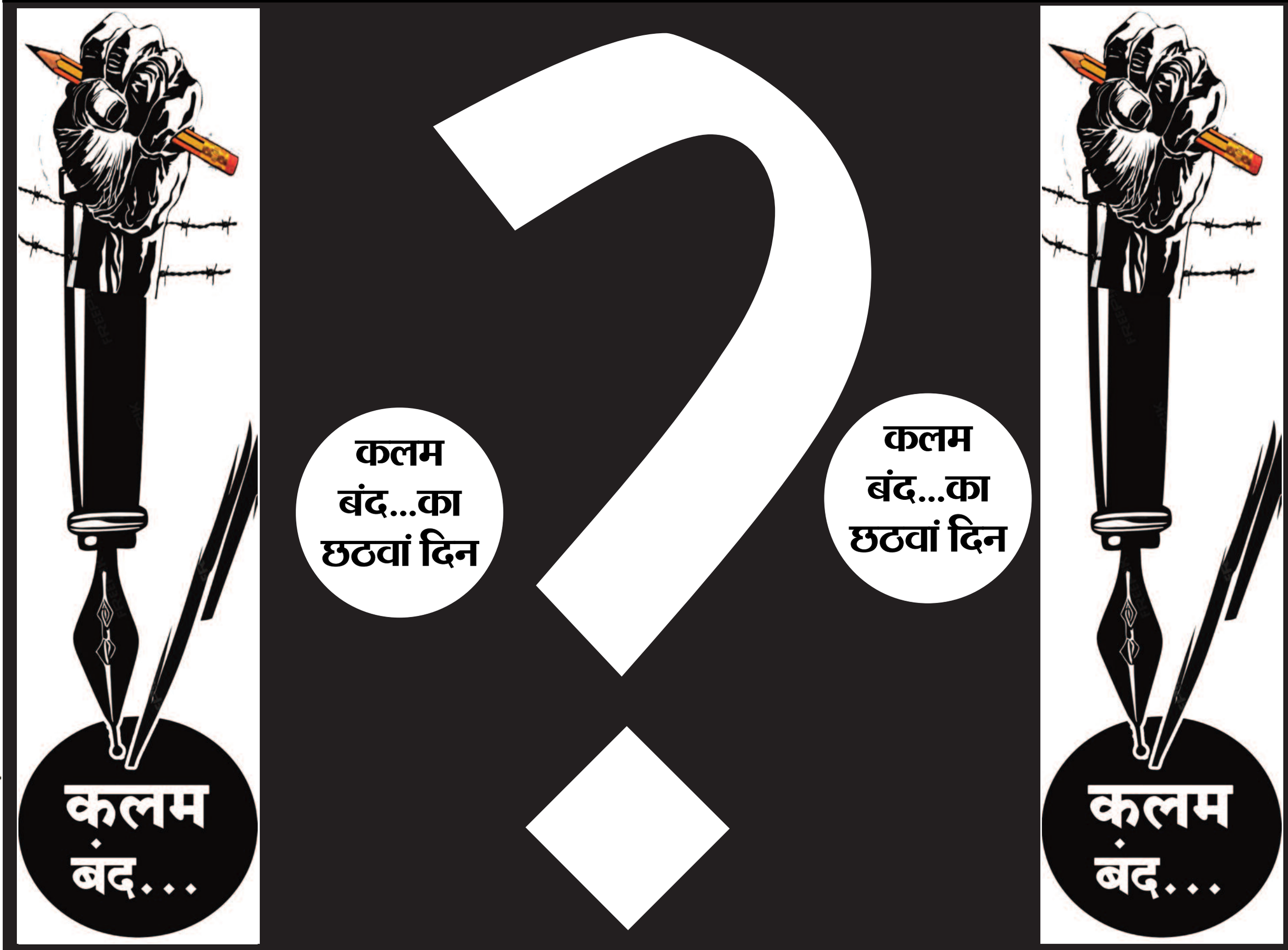

खुला पत्र

देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल...क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध ?

अम्बिकापुर,05 जुलाई 2024 (घटती-घटना)। माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है...छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है...केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है...पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है...यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है...जहां पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मंत्री,विधायक बे-लगाम हो चुके हैं...उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं...उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार,संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले...और बताएं की संपादक व पत्रकार कौन सी खबर प्रकाशित करें ?

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?

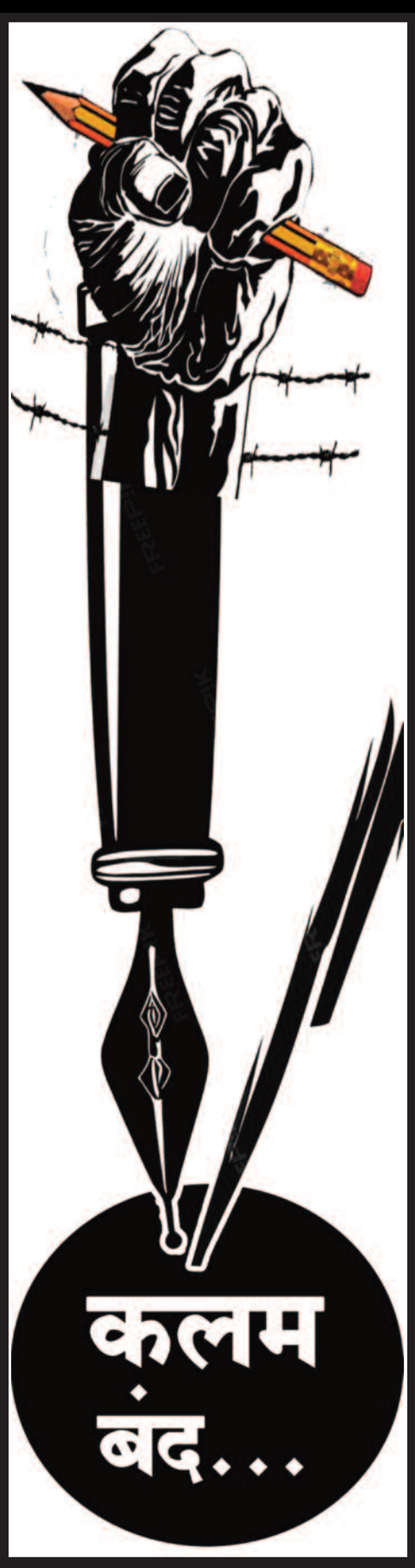

?

कलम बंद...का छठवां दिन

कलम बंद...का छठवां दिन

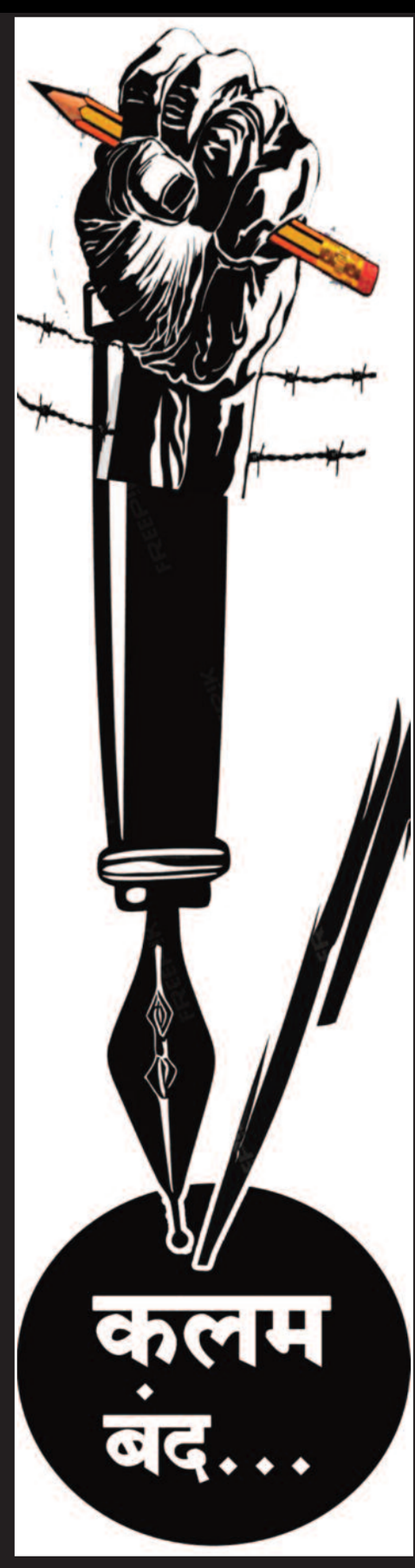

घटती-घटना के स्नेही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

भारत में सच्चे पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है?

अम्बिकापुर,05 जुलाई 2024(घटती-घटना)। भारत अपने पत्रकारों को निडर होकर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है...इन दिनों...कुछ को छोड़कर...हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है...नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विचलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे...इसके कारण,अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता हैं...दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को खो रहे हैं क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना,गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है...देश और दुनिया को डरा दिया है...वहीं,पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है...जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी?

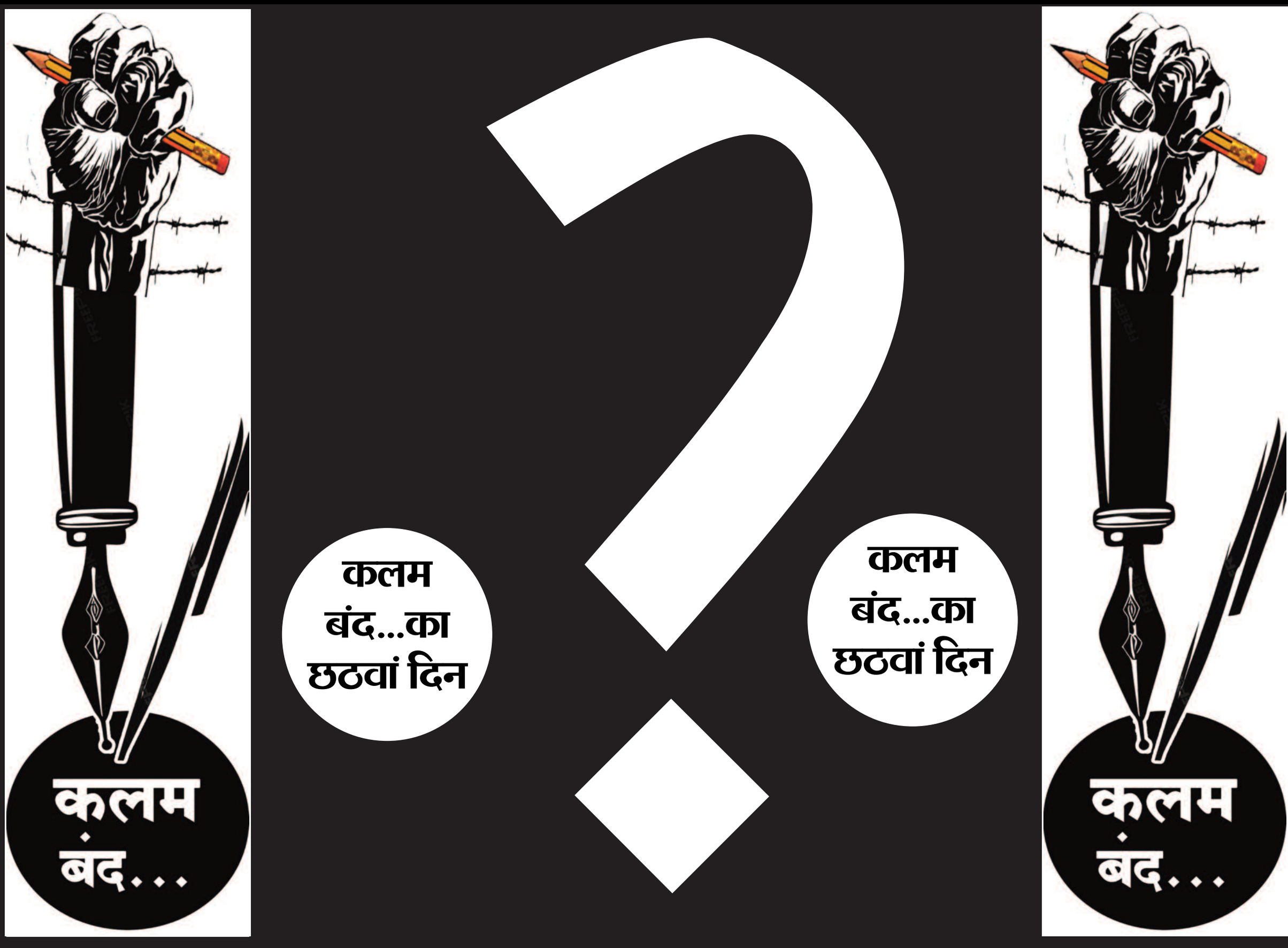

घटती-घटना के स्नेही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

C M Y K

खुला पत्र

क्या भ्रष्टाचार का मामला वहीं होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

» भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत...
» कमी दिखाओ तो दिक्कत...
» जनता की परेशानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर,05 जुलाई 2024(घटती-घटना)। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करें तो क्या करें ? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने पत्रकार दौड़ रहा पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं,भ्रष्टाचार बढ़ता रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र।

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?

?

कलम बंद...का छठवां दिन

कलम बंद...का छठवां दिन

घटती-घटना के स्नेही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज होगी भिड़ंत

जिम्बाब्वे को हराते ही इतिहास रचेगी टीम इंडिया

नई दिल्ली,05 जुलाई 2024। टीम इंडिया का टी 20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के बाद सेलिब्रेशन समापन की ओर है। अब मुकाबले की बारी है। भारतीय टीम इस वक्त जिम्बाब्वे के दौरे पर है, जहां 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे। सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान बीसीसीआई की ओर से पहले ही कर दिया गया था, जिसकी कप्तानी शुभमन गिल के पास है। इस बीच शुभमन गिल के पास एक बड़ा मौका है। अगर भारत पहले ही मैच में जिम्बाब्वे को हरा देता है तो फिर वो काम हो जाएगा जो अब तक टेस्ट खेलने वाला कोई भी देश नहीं कर पाया है।

टी 20 इंटनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें

टी 20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का कीर्तिमान इस वक्त बरमूडा की टीम के पास है। टीम ने साल 2021 से लेकर 2023 तक लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। वहीं मलेशिया ने भी ये कारनामा किया है। टीम ने साल 2022 में लगातार 13 मुकाबले जीते हैं। ये दोनों देश टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं। इसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने साल 2018 से लेकर 2021 तक लगातार 12 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। वहीं रोमानिया ने भी साल 2020 से लेकर 2021 तक

लगातार 12 मैच जीते हैं।

टीम इंडिया लगातार जीत चुकी है 12 टी 20 इंटरनेशनल मैच

भारतीय टीम ने साल 2021 से लेकर 2022 तक लगातार 12 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते थे, लेकिन इसके बाद ये जीत का सिलसिला टूट गया था। लेकिन अब फिर से टीम इंडिया लगातार इतने ही मैच जीत चुकी है और जीत के रथ पर सवार है। साल 2023 से शुरू हुआ ये क्रम साल 2024 तक यानी अभी तक जारी है। अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को पहले ही टी 20 इंटरनेशनल मैच में हरा देती है तो उसकी लगातार मैच जीतने की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो जाएगी। यानी लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाला और टेस्ट खेलने वाला भारत पहला देश बन जाएगा।

दो मैच लगातार जीते तो बनेगा नया कीर्तिमान

इतना ही नहीं, भारतीय टीम के पास मौका है कि वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दे। यानी बरमूडा और मलेशिया को भी पीछे कर दे, इसलिए उसे लगातार दो और मैच जीतने होंगे, जो काम कोई मुश्किल नहीं है। टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच शनिवार को यानी 6 जून को खेलना है, वहीं दूसरा मुकाबला 7 जून को खेला जाएगा, जो कि रविवार को है। दोनों मैच हरारे में खेले जाएंगे। यानी दो दिन में टीम इंडिया बड़ा इतिहास रच देगी, जिसे बाद में तोड़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाएगा।

संक्षिप्त खेल समाचार

आईपीएल के खलनायक हार्दिक पंड्या विश्व कप नायक बनकर लौटे

नई दिल्ली,05 जुलाई 2024। हार्दिक पंड्या वापसी की कहानियों के इतिहास में सबसे शीर्ष पर रहने की हकदार है क्योंकि भारतीय क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के कुछ महीनों में शीर्ष पर पहुंच गया हो।वनडे विश्व कप में टखने की चोट के बाद पंड्या की वापसी की यात्रा निराशा और हताशा से भरी हुई थी। लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ अत्यधिक लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। मुंबई इंडियंस की टीम के मुख्य खिलाड़ियों में शुमार रहे पंड्या कुछ साल के लिए गुजरात टाइटन्स में खेले। लेकिन मुंबई की टीम वापसी को कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया।कुछ लोगों का मानना है कि आईपीएल के प्रशंसक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रशंसकों से अलग होते हैं, लेकिन पंड्या को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन सबके बीच पत्नी नताशा स्टेनकोविच से अलगाव की अपुष्ट खबरें भी आईं। जब पंड्या ने अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस की टीम का नेतृत्व किया तो उनकी हूटिंग की गई। लेकिन जब पंड्या टी20 विश्व कप के लिए मैदान पर उतरे तो यह सब अतीत की बात हो गई। और चैम्पियन बनने के बाद जब टीम लौटी तो प्रशंसकों की भारी भीड़ ने वानखेड़े स्टेडियम और मरीन ड्राइव को खचाखच भर दिया। पंड्या ने यहां परेड से पहले ट्रॉफी के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, ''जल्द ही मिलते हैं, वानखेड़े।'' स्टेडियम के अंदर हार्दिक...हार्दिक के नारे गूंज रहे थे।

प्रग्गनानंद ने विश्व नंबर 1 शतरंज में पहली जीत की हासिल

चेन्नई,05 जुलाई 2024। रमेशबाबू प्रग्गनानंद अब भारत और अंतरराष्ट्रीय शतरंज सर्किट में एक जाना-माना नाम बन चुके हैं। सुपरबेट क्लासिकल टूर्नामेंट के लिए वर्तमान में रोमानिया में मौजूद 18 वर्षीय खिलाड़ी का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। स्टावेंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, जहां वह मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा से पीछे रहे, उनके शानदार करियर का एक और अध्याय था। नॉर्वे में, प्रग्गनानंदा की विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर शास्त्रीय शतरंज में पहली जीत ने सभी का ध्यान खींचा। दिलचस्प बात यह है कि समापन समारोह के दौरान, कार्लसन ने बताया कि प्रग्गनानंदा से उनकी हार, वास्तव में, उनके लिए टूर्नामेंट का सबसे यादगार मैच था। विश्व चैंपियन के साथ अपने संबंधों पर बोलते हुए, प्रग्गनानंदा ने कहा कि उनके बीच कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है क्योंकि वे एक-दूसरे में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाते हैं। जब भी हम खेलते हैं, तो मैच दिलचस्प हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों उस स्थिति का आनंद लेते हैं, इसलिए हमें इससे कोई आपत्ति

नहीं है। वास्तव में, मुझे लगता है कि यही कारण है कि हमारे मैच इतने दिलचस्प होते हैं, उन्होंने कहा। चेन्नई में जन्मे इस खिलाड़ी ने कार्लसन की तारीफ करते हुए कहा, मैग्नस ने समापन समारोह के दौरान कहा कि मेरे खिलाफ उनका खेल यादगार था क्योंकि उसके बाद वह एक अलग खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने क्लासिकल में लगातार तीन गेम जीते, जो इस टूर्नामेंट और इस प्रारूप में बहुत मुश्किल और बहुत महत्वपूर्ण है; इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने उस गेम को छोड़कर काफी अच्छा खेला।÷ नॉर्वे में, प्रग्गनानंद ने तीन आर्मगेडन जीत के अलावा दो जीते, एक हारे और सात मैच ड्रॉ किए। उन्होंने कहा कि वह अपने प्रदर्शन से खुश हैं लेकिन उन्हें लगता है कि सुधार की गुंजाइश है।÷मैंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने कार्लसन और फैबियानो कारूआना के खिलाफ दो क्लासिकल गेम जीते, जो अच्छा था। मुझे लगता है कि मैं अन्य खेलों में थोड़ा और दबाव बना सकता था। मुझे नहीं लगता कि मैंने सभी खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।

पाकिस्तान व्यस्त सत्र में करेगा इंग्लैंड,वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की मेजबानी

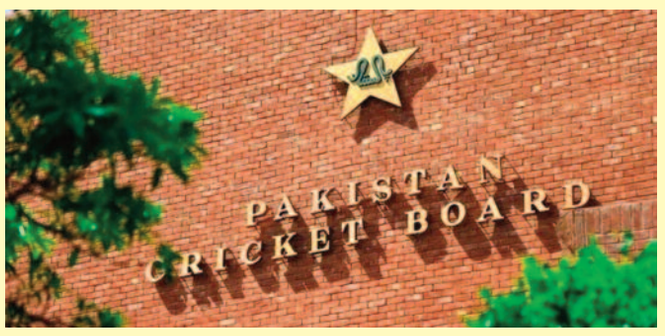

करांची,05 जुलाई 2024। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अंतिम समय में अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला घोषित करने की परंपरा से हटते हुए शुक्रवार को पुष्टि की कि पुरुष टीम 2024-25 सत्र में इंग्लैंड के खिलाफ 'हाई प्रोफाइल' श्रृंखला सहित नौ टेस्ट, 14 वनडे और नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।

पाकिस्तान इस साल अक्टूबर में तीन मैच की टेस्ट श्रृंखला के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगा जबकि बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के दौरे भी कैलेंडर में शामिल हैं।पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, ''ये श्रृंखलायें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान का स्थान मजबूत करने के लिए हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। पीसीबी ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश रावलपिंडी (21 से 25 अगस्त) और कराची (30 अगस्त से तीन सितंबर) में दो टेस्ट खेलेगा और अंतरराष्ट्रीय सत्र की शुरूआत करेगा जिसका समापन नौ मार्च को प्रस्तावित आईसीसी चैम्पियंस ट्राफी 2025 फाइनल से होगा।

पाकिस्तान का सामना तीन टेस्ट में इंग्लैंड से होगा जो मुल्तान (सात से 11 अक्टूबर), कराची (15 से 19 अक्टूबर) और रावलपिंडी (24 से 28 अक्टूबर) में होंगे जबकि वेस्टइंडीज कराची (16 से 20 जनवरी) और मुल्तान (24 से 28 जनवरी) में दो टेस्ट के लिए दौरा करेगी।इनके अलावा न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक त्रिकोणीय श्रृंखला भी होगी। पाकिस्तान इस दौरान नौ वनडे, इतने ही टी 20 अंतरराष्ट्रीय और दो टेस्ट के लिए आस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। बांग्लादेश 2020 के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगा।

एशियाई बिलियर्डस फाइनल में पंकज आडवाणी

» नजरें खिताब की हैट्रिक पर

रियाद, 05 जुलाई 2024। भारत के क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी एशियाई बिलियर्डस में हैट्रिक बनाने के करीब हैं जिन्होंने हमवतन सौरव कोठारी को 5 . 0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया ।आडवाणी ने हर फ्रेम में 100 का स्कोर किया । उन्होंने 100 . 29, 100 . 33, 101 . 38, 100 . 21 , 100 . 0 से जीत दर्ज की ।इससे पहले क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भारत के ही श्रीकृष्णा सूर्यनारायणन को 5 . 0 से हराया था

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.2024050212000 /अ-6/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण भुपेन्द्र सिंह एवं अन्य 04 सभी आ0मुरारी सिंह,सभी निवासी-बाबुपारा, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0) ने इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैकि आवेदकगण के पिता के स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं0-09,मोहल्ला-बाबुपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 3461/2, 3461/3, 3461/6 रकबा क्रमशः 0.04, 0.05, 0.02 एकड़ तथा शीट नं0-09 मोहल्ला-जेलपारा स्थित नजूल भू-खण्ड क्रं. 3505/1, 3506, 3507, 3508/2 रकबा क्रमश:0.02, 0.03, 0.02, $0.01^{1/2}$ एकड़ भूमि है। भूधारक मुरारी सिंह की मृत्यु दिनांक 27.04.2024 को हो गईहै। अतः स्वयं को मृत भू-धारक के वैध वारिस बताते हुए फौती नामांतरण के आधार पर उक्त वर्णित भूमि के अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र, अंतर्गत धारा109,110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 केतहत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार,दरीमा, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा.प्र.क्र. /अ-6/2023-24

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्ण नारायण आ0जगत प्रताप निवासी मकान नं068 शीतला वार्ड जोडा तालाब के पास बाबुपारा अंबिकापुर जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अनुविभगीय अधिकारी (रा)अंबिकापुर के जिला-सरगुजा छ0ग0 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदक के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम मोहनपुर प0ह0नं0 07 रा0नि0मं0 सोहगा तहसील दरिमा में स्थित भूमि ख0नं0361/3 में से रकबा 3.23 एकड भूमि का पटटा आवेदक के पिता को दिया था। उक्त भूमि का बन्दोबस्त आवेदक के पिता स्व0 जगत सिंह के नाम पर की गयी थी जो व्यवस्थापन सूची के क्रमांक 83में दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि त्रुटीवश शासकीय मद में दर्ज हो गया है वाद भूमि को आवेदक अपने नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का निवेदन किया है जो इस न्यायालय को जॉच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त है।

अतः उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक 15 दिवस के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील — नायब तहसीलदार दरिमा,सरगुजा(छ0ग0)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.2024050212000 अ-6/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निमिष अग्रवाल आ0 वेदप्रकाश अग्रवाल, उम्र-43 वर्ष, निवासी-जवाहर मार्के ट, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ0ग0) ने इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि अनावेदकगण-राकेश कुमार अग्रवाल,वेदप्रकाश अग्रवाल दोनों आ0 स्व0हरीराम अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं0-01 मोहल्ला-चोपड़ापारा,नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 9/72 रकबा 0.07 एकड़ भूमि है। अनावेदकगण द्वारा उक्त वाद भूखण्ड में से $0.03^{1/2}$ एकड़ भूमि को पंजीबद्ध दान पत्र विलेख दिनांक 27.04.2024 के माध्यम से आवेदक को प्रदान कर दिया गया है। अतः पंजीबद्ध दानपत्र विलेख दिनांक 27.04.2024 के आधार पर दान की गई भूमि के अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109,110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/06/2024 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्याायलय में मामला क्रमांक 202405020700240

विषयः-6,मामले की श्रेणीः-राजस्व,सन् 2023-2024

अम्बिकापुर(प.ह.न.00015)

पक्षकारों का विवरण-

आवेदक पक्षकार-जमगेन,

अनावेदक पक्षकार-जगदीश,पि.प्रेमसाय

ईश्तहार

आवेदक जगमेन बेवा जगदीश व अन्य,निवासी घुटरापारा,चांदनी चौक,अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ0ग0)के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नम्बर 2104/1, 2104/4, 2145/4 कुल रकबा 0.079 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों से मृत भूमि स्वामी स्व0 जगदीश चेरवा का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19/07/2024 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 30/05/2024 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

रा.प्र.क्र. अ-2/2023-24

ईश्तहार

एतद द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चंद्रशेखर साहू आ0 बंशीलाल साहू जाति तेली निवासी ग्राम- सूरजपुर, तहसील सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम- सूरजपुर प0 ह0 नं0 11 रा0नि0मं0 सूरजपुर तहसील-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 2488/3 रकबा 0.012 हे0 कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तन किये जाने का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस सम्बंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 18/07/2024 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/07/2024 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

सील — विशेष कर्त्तव्याधिकारी भूमि व्यपवर्तन सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा.प्र.क्र./अ- 20(3)/2023-24

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश आ0स्व0रामधारी अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी जयस्तंभ चौक अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला सदर रोड अम्बिकापुर शीट नम्बर-11क स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/29 रकबा 0.02 एकड़ (915 व0फी0) भूमि/मकान व दुकान को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र,मेंटनेन्स खसरा की छायाप्रति के साथ पेश किया गया है।

उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा)बलरामपुर,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

ईश्तहार

ग्राम-बलरामपुर, विकासखण्ड-बलरामपुर

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम बलरामपुर,विकासखण्ड बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट(इंग्लिश मिडियम) हायर सेकेण्डरी स्कूल बलरामपुर के मध्यान्ह भोजन संचालन कार्य नए एजेंसी को आबंटित किया जाना है। अतः जो एजेंसी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (इंग्लिश मिडियम) हायर सेकेण्डरी स्कूल बलरामपुर का संचालन करना चाहती है वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 09/07/2024 तक इस कार्यालय में जमा कर सकता है। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

सील — अनुविभागीय अधिकारी(रा) बलरामपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा)बलरामपुर,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

ईश्तहार

ग्राम-बलरामपुर, विकासखण्ड-बलरामपुर

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम बलरामपुर,विकासखण्ड बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट(हिन्दी मिडियम) हायर सेकेण्डरी स्कूल बलरामपुर के मध्यान्ह भोजन संचालन कार्य नए एजेंसी को आबंटित किया जाना है। अतः जो एजेंसी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (हिन्दी मिडियम) हायर सेकेण्डरी स्कूल बलरामपुर का संचालन करना चाहती है वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 09/07/2024 तक इस कार्यालय में जमा कर सकता है। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

सील — अनुविभागीय अधिकारी(रा) बलरामपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.202406021200071/ब-121/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किंजल किशोर पाण्डेय,आ0 स्व0गोपीनाथ पाण्डेय, निवासी ब्रम्ह रोड नगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला ब्रम्ह रोड स्थित नजूल प्लाट नम्बर 857/4 रकबा 786.16 एकड़ भूमि से प्रस्तावित नक्शानुसार भू-तल पर रकबा 43.55 वर्गमीटर प्रथम तल पर रकबा 36.59वर्गमीटर, द्वितीय तल पर रकबा 39.55 वर्गमीटर,तृतीय तल पर रकबा 39.55 वर्गमीटर एवं चतुर्थ तल पर रकबा 39.55 वर्गमीटर भूमि पर व्यवसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण कराने की अनुमति हेतु आवेदन भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ- 20(3)/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका संजीदा खातून आ0मो0 इदरीश जाति मुसलमान निवासी महाराजा गली अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला महाराजा गली नगरअम्बिकापुर शीट नम्बर-04 स्थित नजूल प्लाट नम्बर1066 में से रकबा 975 वर्गफीट (2.23 डिसमिल) भूमि को अनावेदक मिस्बाहुल इस्लाम आ0 शफी अहमद जाति मुसलमान निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला-सरगुजा छ0ग0 के पास विक्रय करने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र,मय शपथ पत्र, मेंटनेन्स खसरा नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.202406021200079 /अ-6/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मंगलचंद आ0बाबुलाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल,निवासी-राममंदिर रोड,अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व की नगर अम्बिकापुर स्थित शीट नं0-09 मोहल्ला-बाबुपारा,स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 3467/4866/127 रकबा 23x62.5=1437.5 वर्गफीट भूमि व मकान को बैंक में बंधक रखने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र,मय शपथ पत्र, मेंटनेन्स खसरा सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.2024050212000 /अ-6/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती पिंकी देवी पत्नी अनिल गर्ग,जाति अग्रवाल,निवासी-बौरीपारा,अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व की नगर अम्बिकापुर स्थित शीट नं0-09,मोहल्ला-बाबुपारा स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 3467/4866/253 रकबा 1437.5 वर्गफीट भूमि व मकान को बैंक में बंधक रखने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र,मय शपथ पत्र, मेंटनेन्स खसरा सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24/07/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र.202406021200064/ब-20(3) /2023-24

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रश्मि सिंह पत्नि स्व0 रविन्द्र सिंह, निवासी शितला वार्ड अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला शितला वार्ड अंबिकापुर जिला-सरगुजा छ0ग0 मोहल्ला स्थित नजूल प्लाट नंबर 3286/5 रकबा 0.03 एकड भूमि से प्रस्तावित नक्शानुसार भू-तल पर रकबा 103.19 वर्गमीटर एवं प्रथम तल पर रकबा 103.19 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भवन निर्माण कराने की अनुमति हेतु आवेदन भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तोअपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19/07/2024 तक न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 28/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

खुला पत्र

देश का चौथा स्तंभ को बचाए कौन?

» बचा लो चौथे स्तंभ को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है...जिम्मेदार लोगों से है अपील...

अम्बिकापुर,05 जुलाई 2024 (घटती-घटना)। बात बिल्कुल सही है कि मीडिया देश की ज़रुरत है,बिना इसके हम स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं,संपादक, मालिक और पत्रकार,सभी एक ढर्रे पर चल रहे हैं,सभी बदलाव की बात करते हैं,मगर कोई बदलना ही नहीं चाहता है,देश का स्वघोषित चौथा स्तंभ डगमगा रहा है,अपने विचारों से,अपने कर्तव्यों से बचा लोज्अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पहले के तीन स्तंभ भी चौथे स्तंभ के लिए गंभीर नहीं है। उन्हें लगता है कि चौथे स्तंभ की जरूरत ही नहीं है? समाचार-पत्र राजनीतिज्ञों और अन्य सत्ताधारियों का सशक्त उपकरण बन गया है,निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनका मनमाना प्रयोग करते हैं,सभी अपने अधिकारों की सीमा लांघते हैं मगर क्यों? हमने व हमारे अतीत ने इस बात को सच होते भी देखा है,याद किजिए वो दिन जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था,तब अंग्रेजी हुकूमत के पांव उखाड़ने के लिए एकमात्र साधन अख़बार ही था,विश्व में अमेरिका और कई पश्चिमी देश ऐसे हैं,जहां पत्रकारिता स्वतंत्र है,भारत में भी प्रेस की अपनी भूमिका निभा रही है,हालांकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में प्रेस के लिए कोई अलग से कानून नहीं हैं,हिन्दुस्तान में एक आम नागरिक को जो अधिकार दिया गया है,वही अधिकार प्रेस को भी दिया गया है,आर्टिकल 19(1) (ए) के अनुसार, हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है,मीडिया को भी इसी दायरे में रखा गया है,हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं,वो सरकार और मीडिया है,सरकार के बिना मीडिया अधूरी है, और मीडिया के बिना सरकार,देश की समस्याओं को अख़बार या टीवी के माध्यम से मीडिया सरकार तक अपनी बात पहुंचाती है,देखा जाए,तो प्रेस की भूमिका जनप्रतिनिधि की होती है,कई बार ये प्रतिनिधि सीमा को लांघ जाते हैं,नाजी नेताओं ने ठीक ही कहा है कि यदि झूठ को दस या बीस बार बोला जाए,तो वह सच बन जाता है, समाचार पत्रों के संदर्भ में यह कथन सही उतरता है,आज समाचार पत्र राजनीतिज्ञों और अन्य सत्ताधारियों का सशक्त उपकरण बन गया है,वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनका मनमाना प्रयोग करते हैं,सभी अपने अधिकारों की सीमा लांघते हैं मगर क्यों?

क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी?

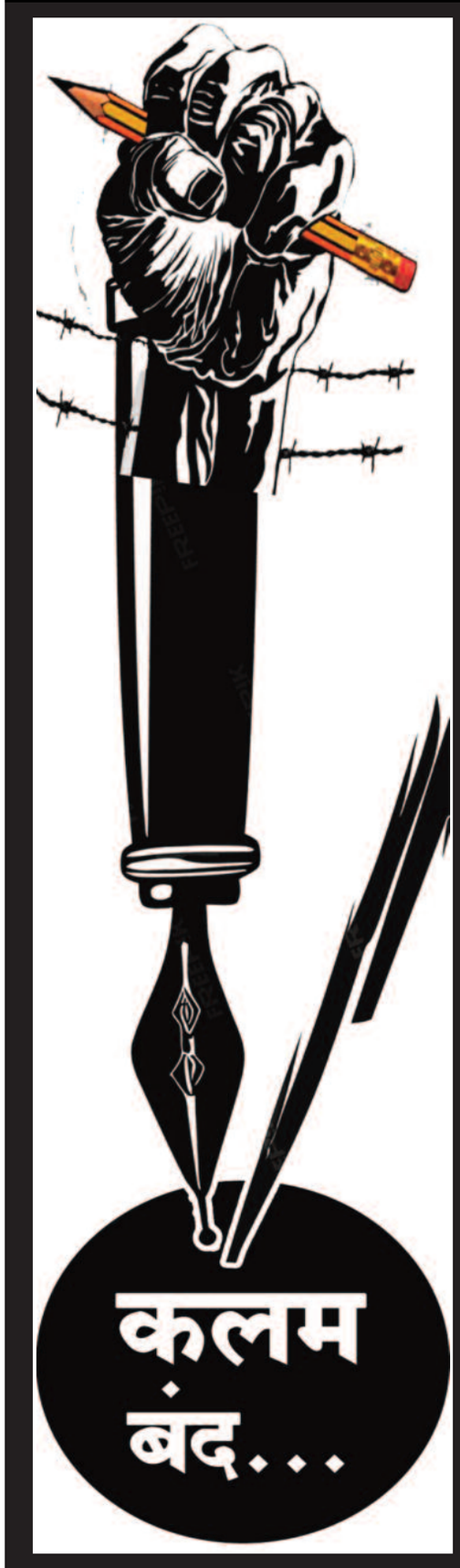

कलम बंद...का छठवां दिन

?

कलम बंद...का छठवां दिन

घटती-घटना के स्नेही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)